

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. लागू होना ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

प्राधिकरण की स्थापना

4. प्राधिकरण की स्थापना और निगमन ।
5. प्राधिकरण का गठन ।
6. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।
7. किसी सदस्य का पद से हटाया जाना ।
8. प्राधिकरण की बैठकें ।
9. रिक्तियों, आदि के कारण प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
10. अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियां ।
11. प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

अध्याय 3

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

12. प्राधिकरण के कृत्य ।
13. वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के संबंध में प्राधिकरण की शक्तियां ।

अध्याय 4

वित्त लेखा और संपरीक्षा

14. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
15. प्राधिकरण की निधि ।
16. लेखा और संपरीक्षा ।
17. कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति ।
18. वेबसाइट का अनुरक्षण ।
19. विवरणियां और रिपोर्ट ।

खंड

अध्याय 5

विदेशी विनिमय संव्यवहार

20. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

21. निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।
22. केन्द्रीय सरकार की प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति ।
23. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
24. प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोकसेवक होना ।
25. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
26. कर से छूट ।
27. नियम बनाने की शक्ति ।
28. विनियम बनाने की शक्ति ।
29. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
30. अध्यारोही प्रभाव ।
31. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों के संबंध में अन्य अधिनियमितियों के उपबंधों को उपांतरित करने की शक्ति ।
32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
33. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन ।
34. व्यावृत्तियां ।
 - पहली अनुसूची ।
 - दूसरी अनुसूची ।

2019 का विधेयक संख्यांक 363

[दि इंटरनेशनल फाइनेन्शियल सर्विसेज सेंटर अथारिटी बिल, 2019 का हिन्दी
अनुवाद]

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019

भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवा बाजार
विकसित और विनियमित करने हेतु एक प्राधिकरण की
स्थापना के लिए और उससे संबंधित या उसके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

5

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
प्राधिकरण अधिनियम, 2019 है ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ ।

10

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना
द्वारा, नियत करे ; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-
भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के
प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के
प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

लागू होना ।

2. यह अधिनियम विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को लागू होगा ।

2005 का 28

परिभाषाएं ।

3. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “समुचित विनियामक” से इस अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय सेक्टर विनियामक अभिप्रेत है ;

5

(ख) “प्राधिकरण” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) “वित्तीय संस्था” से किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो किसी वित्तीय उत्पाद के संबंध में वित्तीय सेवाएं देने में लगी हुई है ;

10

(घ) “वित्तीय उत्पाद” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) प्रतिभूतियां ;

(ii) बीमा संविदाएं ;

(iii) निक्षेप ;

(iv) प्रत्यय ठहराव ;

15

(v) एक करेंसी का किसी अन्य ऐसी करेंसी में विनिमय के लिए संविदाओं से भिन्न विदेशी करेंसी संविदाएं, जिनका तुरंत परिनिर्धारण किया जाना है ; और

(vi) कोई अन्य उत्पाद या लिखत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए ;

20

(ङ) “वित्तीय सेवा” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) किसी वित्तीय उत्पाद का क्रय किया जाना, विक्रय किया जाना या अभिदाय किया जाना अथवा ऐसा करने हेतु सहमत होना ;

(ii) निक्षेपों का प्रतिग्रहण ;

(iii) वित्तीय उत्पाद से मिलकर बनी ऐसी आस्तियों की, जो किसी अन्य व्यक्ति की हैं, सुरक्षा और व्यवस्थापन करना या ऐसा करने के लिए सहमत होना ;

25

(iv) बीमा संविदाओं को प्रभावी करना ;

(v) ऐसे वित्तीय उत्पादों से मिलकर बनी आस्तियों का, जो किसी अन्य व्यक्ति की हैं, प्रबंध करने हेतु प्रस्थापना करना, उनका प्रबंध करना या प्रबंध करने के लिए सहमत होना ;

30

(vi) वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा से सहबद्ध किसी अधिकार का प्रयोग करना ;

(vii) किसी विनिधान स्कीम का स्थापन या प्रवर्तन करना ;

(viii) किसी वित्तीय उत्पाद के अभिलेखों का अनुरक्षण या अंतरण ;

35

(ix) किसी वित्तीय उत्पाद के निर्गमन की हामीदारी या अभिदाय ;

(x) किसी व्यक्ति की वित्तीय अवस्थिति या प्रत्यय-योग्यता के बारे

में सूचना उपलब्ध करवाना ;

(xi) संचित मूल्य या संदाय लिखतों का विक्रय करना, उन्हें उपलब्ध कराना या उनका निर्गमन अथवा संदाय सेवाएं उपलब्ध करवाना ;

5 (xii) उपखंड (i) से उपखंड (xi) में की किन्हीं सेवाओं को करने के लिए ठहराव करना ;

(xiii) (अ) किसी वित्तीय उत्पाद को क्रय करने, विक्रय करने, अभिदाय करने ; या

(आ) उपखंड (i) से उपखंड (xi) में की किन्हीं सेवाओं का उपभोग करने ; या

10 (इ) किसी वित्तीय उत्पाद या उपखंड (i) से उपखंड (xi) में की सेवाओं में से किसी सेवा से सहबद्ध किसी अधिकार का प्रयोग करने, के प्रयोजनों के संबंध में या उस पर याचित सलाह देना या देने के लिए सहमत होना ;

15 (xiv) कोई अन्य सेवा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए ;

1999 का 42

(च) “विदेशी मुद्रा” का वही अर्थ होगा, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ड) में उसका है ;

2005 का 28

20 (छ) “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् स्थापित कोई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अभिप्रेत हैं ;

(ज) “सदस्य” से प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ;

(झ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तदनुसार “अधिसूचित” पद का अर्थ लगाया जाएगा ;

25 (ञ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) “विनियमों” से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ; और

30 (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु इस अधिनियम की पहली अनुसूची के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं ।

अध्याय 2

प्राधिकरण की स्थापना

35 4. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

प्राधिकरण की स्थापना और निगमन ।

(2) प्राधिकरण, शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और

स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति की संविदाएं करने और उन्हें निष्पादित करने, उसका अर्जन करने, उसे धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद जाएगा तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

(4) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में या भारत से बाहर अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

प्राधिकरण का गठन ।

5. (1) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) निम्नलिखित द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला, प्रत्येक से एक सदस्य—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक, पदेन ;

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, पदेन ;

(iii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पदेन ;

(iv) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पदेन ;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, वित्त से संबंधित मंत्रालय के पदधारियों में से दो सदस्य, पदेन ; और

(घ) चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो अन्य सदस्य ।

(2) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य होगा और उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य सदस्यों की नियुक्ति पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्यों के रूप में की जा सकेगी, जैसा केंद्रीय सरकार उचित समझे ।

(3) सदस्य, योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें वित्तीय सेक्टर से संबंधित विषयों को समझने की क्षमता हो और जिन्हें विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, प्रशासन या किसी अन्य ऐसी विद्या विशेष का, जो केंद्रीय सरकार की राय में प्राधिकरण के लिए उपयोगी हो, विशेष ज्ञान या अनुभव हो ।

(4) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट चयन समिति ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी और केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में गठित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

6. (1) अध्यक्ष और सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु कोई व्यक्ति, पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् अध्यक्ष के रूप में या बासठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य,—

(क) केंद्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित रूप में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा ; या

(ख) धारा 7 के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकेगा ।

5 (4) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह उस रूप में पद धारण करने से प्रविरत रहता है, दो वर्ष की अवधि के लिए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय,—

(क) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा ; या

10 (ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में की किसी वित्तीय संस्था में नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा ।

7. केंद्रीय सरकार, किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत है या जिसे किसी समय दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

15 (ख) जो शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में अयोग्य हो गया है ; या

(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

20 (घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा :

25 परंतु खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन कोई सदस्य पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

8. (1) प्राधिकरण की बैठक ऐसे समय और स्थानों पर होगी तथा वह अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिनके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

30 (2) अध्यक्ष या, यदि वह किसी कारण से प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

35 (3) प्राधिकरण की किसी बैठक में, उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा ।

40 (4) यदि किसी सदस्य का, प्राधिकरण की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है तो वह सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन प्राधिकरण की कार्यवाहियों में लेखबद्ध

किसी सदस्य का पद से हटाया जाना ।

प्राधिकरण की बैठकें ।

किया जाएगा और वह सदस्य, उस विषय की बाबत प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा।

9. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है।

10. अध्यक्ष को प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक विषयों की बाबत साधारण अधीक्षण करने और निदेश देने की शक्ति होगी।

11. (1) प्राधिकरण, ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें दे होंगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

अध्याय 3

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

12. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे उपायों द्वारा, जो वह ठीक समझे, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में के वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं को विकसित और विनियमित करे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण की शक्तियों और कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में के वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं को विनियमित करना, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के लिए किसी विनियामक द्वारा अनुज्ञात की गई है ;

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं को विनियमित करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं ;

(ग) ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं को केंद्रीय सरकार को सिफारिश करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अनुज्ञात की जाएं ; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

13. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में, पहली अनुसूची के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित अधिनियमों के अधीन, किसी समुचित विनियामक द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जहां तक उनका संबंध, यथास्थिति, वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय

रिक्तियों, आदि के कारण प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियां।

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

प्राधिकरण के कृत्य।

वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के संबंध में प्राधिकरण की शक्तियां।

5

10

15

20

25

30

35

संस्थाओं से है, प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाएंगी ।

5 (2) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची का, उसमें किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक और उसके द्वारा प्रशासित विधि को सम्मिलित करके या उसमें से किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक और उसमें विनिर्दिष्ट विधि का लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे विनियामक और विधि को पहली अनुसूची में सम्मिलित किया गया या उसमें से लोप किया गया समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

10 (4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) मान्यता या रजिस्ट्रीकरण के लिए या मान्यता या रजिस्ट्रीकरण वापस लेने या सूचना या रिपोर्ट देने के लिए कोई आवेदन फाइल करने की रीति ;

15 (ख) निरीक्षण की प्रक्रिया, अपराधों का अन्वेषण या अभियोजन, सिविल और प्रशासनिक कार्यवाहियों का परिनिर्धारण, किसी अपराध या शास्ति का शमन या न्यायनिर्णयन अथवा ऐसे निरीक्षण, अन्वेषण, या उससे उद्भूत अपीलों के न्यायनिर्णयन या उन्हें फाइल किए जाने के अग्रसरण में की गई कार्रवाइयों ;

20 (ग) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संबंधित अधिनियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए, यथास्थिति, किसी फीस या जुर्माने या शास्ति या कोई अन्य धनराशि या दंड का अवधारण या परिनिर्धारण,

से संबंधित पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के अधीन वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे संबंधित अधिनियमों के अधीन वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं को लागू होते हैं ।

(5) शास्तियां, जुर्माने, फीस और परिनिर्धारित रकमों, अधिरोपित शास्ति या जुर्माने के समतुल्य विदेशी मुद्रा में संगृहीत और वसूल की जाएंगी ।

30 **स्पष्टीकरण**—भारतीय रुपए के समतुल्य विदेशी मुद्रा की संगणना के लिए विनिमय की दर वह होगी, जो, यथास्थिति, शास्ति या जुर्माना अधिरोपित करने वाले आदेश की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाए ।

(6) इस अधिनियम के अधीन शास्तियों या जुर्माने द्वारा वसूल की गई पूरी राशि, भारतीय रुपए में भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी ।

35 (7) प्राधिकरण, उपरोक्त के अतिरिक्त, विनियमों द्वारा ऐसी रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें इस धारा के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कृत्यों का पालन किया जाए ।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

40 14. केन्द्रीय सरकार, संसद् के, विधि द्वारा, इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को धन की ऐसी रकम का अनुदान दे सकेगी जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग करना उचित समझे ।

केन्द्रीय सरकार
द्वारा अनुदान ।

प्राधिकरण
निधि । की

15. (1) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार ; और

(ख) प्राधिकरण द्वारा अन्य स्रोतों से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं प्राप्त सभी राशियां ।

(2) निधि का उपयोजन निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा—

(क) प्राधिकरण के अधिकारियों, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां ; और

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए और इसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उपगत अन्य व्यय ।

लेखा
संपरीक्षा । और

16. (1) प्राधिकरण समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतराल पर संपरीक्षा की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को वही अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो ऐसी संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशेषतया उसे बहियों, लेखाओं संबंधित वाउचरों तथा पेपरों की मांग करने का अधिकार होगा और प्राधिकरण के किसी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

(4) प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और सरकार संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उसे रखवाएगी ।

कार्यपालन
पुनर्विलोकन
समिति ।

17. (1) प्राधिकरण एक कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगा जिसमें प्राधिकरण के कृत्यों का पुनर्विलोकन करने के लिए प्राधिकरण के कम से कम दो सदस्य होंगे जो यह देखेंगे कि—

(क) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कार्यों का निष्पादन करते समय इसने लागू विधियों के उपबंधों का पालन किया है ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अधिनियम के उपबंधों की पारदर्शिता की संवृद्धि और इसके सर्वोत्तम शासन की कार्यवाही को प्रभाव देने के लिए हैं ; और

(ग) प्राधिकरण इसके कार्यों की जिम्मेदारियों का प्रबंध युक्तियुक्त रीति से कर रही है ।

(2) कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन करेगी और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्राधिकरण

को प्रस्तुत करेगी जो ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के तीन मास के भीतर उस रिपोर्ट के अनुसरण में उस पर की गई कार्यवाही यदि कोई हो, के साथ उसकी प्रति केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी ।

5 (3) कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति एक प्रणाली बनाएगी जिसके द्वारा कोई व्यक्ति निम्नलिखित किन्हीं घटनाओं को समिति को प्रस्तुत कर सकेगा—

(क) प्राधिकरण द्वारा किसी भी लागू विधि के उपबंधों का पालन न किया जाना;

(ख) प्राधिकरण के संसाधनों का किसी व्यक्ति के द्वारा दुर्विनियोग;

10 (ग) प्राधिकरण की शक्तियों का प्राधिकरण के किसी कर्मचारी या सदस्य द्वारा दुरुपयोग; या

(घ) प्राधिकरण के कर्मचारी या सदस्य द्वारा प्राधिकरण के किसी निर्णय का अननुपालन ।

(4) कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति को उपलब्ध कराए जाने वाली सूचनाओं को शासित करने और इस धारा के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए समिति को समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था के लिए प्राधिकरण विनियम बनाएगी ।

15 18. (1) प्राधिकरण ऐसी वेबसाइट या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सूचना का सार्वभौमिक पहुंच वाले निधान का अनुरक्षण करेगी जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

वेबसाइट का
अनुरक्षण ।

20 (2) प्राधिकरण द्वारा जारी सभी आदेशों और विनियमों को इसकी वेबसाइट या उपधारा (1) के अधीन अनुरक्षित निधान में प्रकाशित किया जाएगा ।

(3) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास के आधार पर वेबसाइट या निधान की गुणवत्ता का पुनर्विलोकन करेगी और वार्षिक रिपोर्ट के साथ अपने निष्कर्षों सहित रिपोर्ट को प्रकाशित करेगी ।

25 19. (1) प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से जो विहित की जाए या जो केन्द्रीय सरकार निदेश दे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में इकाइयों के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्थापित या विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में ऐसी विवरणियां और विवरण तथा विशिष्टियां देगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

विवरणियां और
रिपोर्ट ।

30 (2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् नब्बे दिनों के भीतर अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा, नीति और पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रमों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त की गई रिपोर्ट की प्रति इसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

35

अध्याय 5

विदेशी विनिमय संव्यवहार

20. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय सेवाओं का प्रत्येक संव्यवहार ऐसी विदेशी मुद्रा में किया जाएगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा विनिमयों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए ।

विदेशी मुद्रा में
संव्यवहार ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

निदेश देने की
केन्द्रीय सरकार की
शक्ति ।

21. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के पालन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे :

5

परंतु इस उपधारा के अधीन प्राधिकरण को कोई निदेश दिए जाने के पूर्व, जहां तक साध्य हो, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

10

केन्द्रीय सरकार की
प्राधिकरण को
अतिष्ठित करने
की शक्ति ।

22. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि—

(क) ऐसी परिस्थितियों, जो प्राधिकरण के नियंत्रण से परे हैं, के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों या कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्राधिकरण के प्रशासन को हानि हुई हो; या

15

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

20

तो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों से अधिक से अधिक छह मास की उतनी अवधि के लिए, जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी:

परंतु कोई ऐसी अधिसूचना के जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण को, प्राधिकरण के अभ्यावेदनों को करने का, यदि कोई हों, युक्तियुक्त अवसर देगी और अभ्यावेदन पर विचार करेगी ।

25

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर—

(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्य अतिष्ठित होने की तारीख से अपने पद को रिक्त कर देंगे ;

30

(ख) प्राधिकरण की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य जो अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकरण द्वारा या इसके निमित्त प्रयोग या निर्वहन किए जाते हैं जब तक कि उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं हो जाता, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार निदेशित करे ; और

35

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्ति तब तक, जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित कार्य की समाप्ति पर या इसके पूर्व केन्द्रीय सरकार इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नई नियुक्तियों के द्वारा प्राधिकरण को पुनर्गठित करेगी और ऐसी दशा में वे व्यक्ति जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझे जाएंगे।

5

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

23. (1) प्राधिकरण, लिखित, साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकरण के अधिकारी या किसी सदस्य को ऐसी शर्तों के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 28 के अधीन शक्तियों को छोड़कर) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

10

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(2) प्राधिकरण लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा सदस्यों की समिति भी बना सकेगा और उन्हें प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों और कृत्यों को जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

15

24. प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोकसेवक हैं।

1860 का 45

प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोकसेवक होना।

25. इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाइयां केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या इसके सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होंगी।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

1961 का 43

26. आय-कर अधिनियम, 1961, सहित कराधान से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट कोई बात, प्राधिकरण को उसकी आय, सेवाओं, फायदों या लाभ के संबंध में आय-कर या अन्य कर या इयूटी के संदाय करने का दायी नहीं बनाएगी।

25

कर से छूट।

27. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

30

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

35

(क) धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन चयन समिति के गठन की रीति और संरचना ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन ;

(ग) धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(घ) ऐसा प्ररूप जिसमें लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाए और धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाए ;

(ङ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाली विवरणियाँ और विवरणों और अन्य विशिष्टियों का प्रारूप और रीति ;

(च) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन नीति और कार्यक्रमों, क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्टों का प्रारूप;

(छ) अन्य कोई विषय जो विहित किया गया हो या विहित किया जा सके ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

28. (1) प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के अधिवेशनों का समय तथा स्थान और ऐसे अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के नियम;

(ख) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ग) ऐसी रीति जिसमें धारा 13 की उपधारा (7) के अधीन प्राधिकरण अपने कृत्यों का पालन कर सकेगा ;

(घ) धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति को सूचना उपलब्ध किए जाने की रीति ;

(ङ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन वेबसाइट और इलैक्ट्रानिक सूचना का सार्वभौमिक पहुंच वाले निदान का अनुरक्षण ;

(च) ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें धारा 20 के अधीन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में वित्तीय सेवाओं का संव्यवहार संचालित किया जा सकेगा ;

(छ) प्राधिकरण की ऐसी शक्तियाँ और कृत्य जिन्हें धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्यायोजित किया जा सकेगा ;

(ज) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसका विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित हो ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

29. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह

5

10

15

20

25

30

35

नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा ; किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

5 30. इस अधिनियम के उपबंध इससे असंगत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या इस अधिनियम से भिन्न विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी अभिभावी होंगे ।

अध्यारोही
प्रभाव ।

10 31. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि किसी केन्द्रीय अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंध या उसके अधीन जारी अधिसूचना या दिया गया कोई किसी आदेश या अधिसूचना (नियमों या विनियमों को बनाने संबंधी उपबंधों के सिवाय) जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है—

अंतरराष्ट्रीय
वित्तीय सेवा केन्द्रों
के संबंध में अन्य
अधिनियमितियों
के उपबंधों को
उपांतरित करने
की शक्ति ।

(क) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में यथास्थिति वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों को लागू नहीं होगी ; या

15 (ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में ऐसे अपवादों, उपांतरणों, अनुकूलनों, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यथास्थिति, वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों को लागू होगी ।

20 (2) उपधारा (1) के अधीन जारी करने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रारूप के रूप में रखी जाएगी जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना के जारी न करने के संबंध में सहमत हो जाते हैं या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए दोनों सदन सहमत होते हैं तब अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या यथास्थिति ऐसे उपांतरित रूप में जारी की जाएगी जिस पर दोनों सदन सहमत हुए हैं ।

25 32. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

कठिनाइयों को
दूर करने की
शक्ति ।

30 परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

33. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसमें विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

कतिपय
अधिनियमितियों
का संशोधन ।
व्यावृत्तियां ।

35 34. यथास्थिति, वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थाओं से संबंधित किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन बनाए गए या बनाए जाने के लिए तात्पर्यित सभी नियम या विनियम या जारी की गई या जारी किए जाने के लिए तात्पर्यित सभी अधिसूचनाओं को, जहां तक उनका संबंध ऐसे विषयों से है जिनके लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या जारी की गई

अधिसूचनाओं में उपबंध किया गया है और जो इससे असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार बनाई गई या जारी की गई समझी जाएंगी मानों यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जिसको ऐसे नियम बनाए गए थे या अधिसूचनाएं जारी की गई थीं और ये तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा या जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा अतिष्ठित न कर दिया जाए ।

पहली अनुसूची

[धारा 3 (1)(क), धारा 13(1)(2) और (4) देखिए]

समुचित विनियामक

क्रम सं०	समुचित विनियामक	संबंधित अधिनियम
1.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक ।	1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) ; 2. बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) ; 3. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) ; 4. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) ; 5. प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 30) ; 6. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) ; 7. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) ।
2.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992(1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ।	1. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) ; 2. भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अधिनियम, 1992(1992 का 15) ; 3. निक्षेपागार अधिनियम (1996 का 22) ।
3.	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन गठित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ।	1. बीमा अधिनियम, 1929 (1929 का 4) ; 2. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) ; 3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1938 (1938 का 41) ।
4.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के अधीन गठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ।	1. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 33 देखिए]

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

भाग 1

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) का संशोधन

धारा 57 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन ।

धारा 57 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

बैंक की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को लागू न होना ।

"57क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बैंक द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

2005 का 28

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं ।" ।

भाग 2

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) का संशोधन

धारा 118 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन ।

धारा 118 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

प्राधिकरण की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को लागू न होना ।

"118क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

2005 का 28

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं ।" ।

भाग 3

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) का संशोधन

धारा 51 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन ।

धारा 51 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"51क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"।

भाग 4

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) का संशोधन

धारा 29क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"29ख. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"।

भाग 5

निकषेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) का संशोधन

धारा 43 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"43क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को

रिजर्व बैंक की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को लागू न होना।

धारा 29क के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को लागू न होना।

धारा 43 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन। रिजर्व बैंक की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को लागू न होना।

विस्तारित नहीं होंगी,

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"।

भाग 6

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) का संशोधन

धारा 38 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को लागू न होना।

धारा 38 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

38क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"।

भाग 7

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) का संशोधन

धारा 28ख के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।

बोर्ड की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को लागू न होना।

धारा 28ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

28ग. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"।

2005 का 28

2005 का 28

भाग 8

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) का संशोधन

धारा 23च के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"23छ. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"

भाग 9

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) का संशोधन

धारा 23 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"23क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"

भाग 10

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) का संशोधन

धारा 44 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"44क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

धारा 23च के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।

बोर्ड की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को लागू न होना।

धारा 23 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।

प्राधिकरण की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को लागू न होना।

धारा 44 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।

रिजर्व बैंक की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को लागू न होना।

2005 का 28

2005 का 28

2005 का 28

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"।

भाग 11

प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 30) का संशोधन

धारा 33 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।

रिजर्व बैंक की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को लागू न होना।

धारा 33 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"33क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

2005 का 28

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"।

भाग 12

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) का संशोधन

धारा 31 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।

बैंक की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को लागू न होना।

धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"31क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बैंक द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

2005 का 28

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"।

भाग 13

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) का संशोधन

धारा 34क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

34ख. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"

भाग 14

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) का संशोधन

धारा 50 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"50क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां,—

(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विस्तारित नहीं होंगी,

(ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी,

जहां तक उनका ऐसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुज्ञात हैं।"

धारा 34क के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।

रिजर्व बैंक की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को लागू न होना।

धारा 50 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।

प्राधिकरण की शक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को लागू न होना।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 18 यह उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना करने का अनुमोदन कर सकेगी और ऐसे केंद्र की स्थापना और प्रचालन के लिए अपेक्षाएं विहित कर सकेगी ।

2. भारत में प्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर, गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया है । अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र वित्तीय सेवाओं और संव्यवहारों को वापस लाने में समर्थ बनाता है जो कि वर्तमान में विश्व स्तरीय कारबार और विनियामक पर्यावरण के प्रस्ताव द्वारा भारतीय कारपोरेट इकाइयों और विदेशी शाखाओं और भारत की वित्तीय संस्थाओं की समनुषंगियों द्वारा अपतट वित्तीय केंद्रों में कार्यान्वित किया जाता है । यह भारतीय निगमित उपक्रमों की वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुंच को आसान बनाएगा ।

3. वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में बैंककारी, पूंजी बाजार और बीमा सेक्टर, बहु विनियामकों जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किए जाते हैं । इन विनियामकों ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में बैंककारी, पूंजी बाजार और बीमा कारबार के विनियमन के लिए तत्संबंधी अधिनियमों के अधीन विभिन्न विनियम और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं ।

4. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विकास में संकेंद्रित और समर्पित विनियामक मध्यक्षेप अपेक्षित है और एक उच्च स्तरीय अंतर-विनियामक समन्वय भी अपेक्षित है । इसलिए, ऐसे वित्तीय बाजार सहभागियों को विश्वस्तरीय विनियामक पर्यावरण प्रदान करने और कारबार करने को सहज बनाने हेतु बढ़ावा देने के लिए एकीकृत वित्तीय विनियामक स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है ।

5. तदनुसार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है—

(क) भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्रों में वित्तीय सेवा बाजार का विकास और विनियमन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्राधिकरण) की स्थापना करने ;

(ख) संबंधित अधिनियमों के अधीन वित्तीय सेक्टर के विनियामकों की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन, जहां तक उसका संबंध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से है, प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जाएगा;

(ग) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रत्येक संव्यवहार ऐसी विदेशी मुद्रा होगा, जो प्राधिकरण द्वारा, केंद्रीय सरकार के परामर्श से विनिर्दिष्ट की जाए ;

(घ) प्राधिकरण के कार्यकरण का वार्षिक आधार पर पुनर्विलोकन करने के लिए प्राधिकरण के कम से कम दो सदस्यों से मिलकर कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति का गठन करने ;

(ड) कतिपय अधिनियमितियों का, जो प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझी जाएं, संशोधन करने ।

6. खंडों पर टिप्पण, विधेयक के विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
21 नवम्बर, 2019

निर्मला सीतारमण

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ के लिए उपबंध करता है ।

खंड 2—यह खंड विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अधीन स्थापित अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों के लिए प्रस्तावित विधान के लागू होने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 3—यह खंड विधेयक में प्रयुक्त पदों की परिभाषा के लिए उपबंध करता है जैसे “विनियोग विनियामक”, “प्राधिकरण”, “वित्तीय उत्पाद”, “वित्तीय संस्थान”, “विदेशी मुद्रा”, “अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र”, “सदस्य”, “अधिसूचना”, “विहित” और “विनियम” है ।

खंड 4—यह खंड प्राधिकरण की स्थापना और निगमन के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा कॉर्पोरेट निकाय के रूप में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी । यह और उपबंध करता है कि प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय उस स्थान पर होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिश्चय करे और इसे केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ भारत अथवा भारत के बाहर अन्य स्थानों पर कार्यालय को स्थापित किया जा सकेगा ।

खंड 5—यह खंड प्राधिकरण के गठन के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण एक अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले प्रत्येक में से एक सदस्य, वित्त की बाबत मंत्रालय के पदाधिकारियों में से दो सदस्य और चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

खंड 6—यह खंड प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तों का उपबंध करने के लिए है । यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिस तारीख को उसने पद ग्रहण किया है और पुनर्नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होगा । तथापि, कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अध्यक्ष के रूप में पद धारण नहीं करेगा और कोई व्यक्ति बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

यह और उपबंध करता है कि पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को संदेय, वेतन और भत्ते और अन्य निबंधन और सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं । यह भी उपबंध किया जाता है कि कोई सदस्य तीन मास से अन्यून अवधि की ऐसी सूचना को केन्द्रीय सरकार को लिखित में देकर अपने पद का त्याग कर सकता है अथवा खंड 7 के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकेगा । यह पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्यों के और नियोजन पर प्रतिबंध के लिए भी उपबंध करता है ।

खंड 7—यह खंड पद से सदस्यों के हटाए जाने के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को दिवालिया, शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता, नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के दोषसिद्ध होने पर,

अथवा अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए, अपने कृत्यों के वित्तीय अथवा अन्य पूर्वाग्रह हितों द्वारा अर्जित किए जाने के आधार पर किसी सदस्य को हटा सकेगी। यह और उपबंध करता है कि किसी सदस्य को कतिपय आधारों पर नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे मामले में सुनवाई करने के लिए उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

खंड 8—यह खंड प्राधिकरण की बैठक के लिए उपबंध करता है।

खंड 9—यह खंड रिक्तियों आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होने का उपबंध करता है।

खंड 10—यह खंड अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियों के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि उसे प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में साधारण अधीक्षण और निदेश की शक्ति प्राप्त होगी।

खंड 11—यह खंड प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो प्रस्तावित विधान के अधीन उसके कृत्यों का पर्याप्त निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे। यह और उपबंध करता है कि उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

खंड 12—यह खंड प्राधिकरण के कृत्यों के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण के कृत्यों में किसी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र, जिसे किसी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के लिए किसी विनियामक द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई है, में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं को विनियमित करने की शक्ति सम्मिलित है; अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं अथवा वित्तीय संस्थानों को ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं अथवा वित्तीय संस्थानों, जिसे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा, केन्द्रीय सरकार के लिए सिफारिशों को करने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा के रूप में तथा ऐसे अन्य कृत्यों, जो विहित किए जाएं, का निर्वहन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी।

खंड 13—यह खंड ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं अथवा वित्तीय संस्थानों के सम्बन्ध में प्राधिकरण की शक्तियों के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि सम्बन्धित अधिनियमों विशिष्ट रूप से पहली अनुसूची के अधीन किसी विनियोग विनियामक द्वारा व्यवहार्य सभी शक्तियों को अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में प्राधिकरण द्वारा व्यवहार्य किया जाएगा। जहां तक उनका सम्बन्ध यथास्थिति, ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं अथवा वित्तीय संस्थानों को विनियमित करने से है। यह किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक या अधिसूचना द्वारा किसी विधि, जिसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, सम्मिलित करने अथवा लोप करने के द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को और शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए है।

यह भी उपबंध करता है कि उसमें विनिर्दिष्ट किए गए कतिपय मामलों से सम्बन्धित सम्बद्ध अधिनियमों के उपबंध प्रस्तावित विधान के अधीन वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं अथवा वित्तीय संस्थानों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, जैसे कि वे ऐसे सम्बन्धित अधिनियमों के अधीन वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं अथवा वित्तीय संस्थानों को लागू होते हैं। यह उपबंध करता है कि शास्तियों, जुर्मानों, फीस और रकम

को विदेशी मुद्रा में एकत्रित किया जाएगा अथवा जारी किया जाएगा तथा भारतीय रूप के मूल्यांकन में भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा ।

खंड 14—यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार प्रस्तावित विधान के उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु संसद् द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन के पश्चात् प्राधिकरण को ऐसी राशि का अनुदान कर सकेगी ।

खंड 15—यह खंड ऐसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण निधि का गठन करने का उपबंध करता है, जिससे प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार और प्राधिकरण द्वारा अन्य स्रोतों से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं प्राप्त सभी राशियां जमा की जाएंगी । इसमें यह और उपबंधित है कि निधि का उपयोजन प्राधिकरण के अधिकारियों, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए और इसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उपगत अन्य व्यय के लिए किया जाएगा ।

खंड 16—यह खंड प्राधिकरण के लेखा और संपरीक्षा के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण समुचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों रखेगा और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा । यह और उपबंध करता है कि प्राधिकरण के लेखाओं की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी ।

इसमें यह भी उपबंधित है कि प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशेषतया उसे बहियों, लेखाओं संबंधित वाउचरों तथा पेपरों की मांग करने और प्राधिकरण के किसी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार होगा । इसमें यह भी उपबंधित है कि प्राधिकरण के संपरीक्षित लेखाओं और संपरीक्षा रिपोर्ट को वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा और जो उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

खंड 17—यह खंड निष्पादन पुनर्विलोकन समिति के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण, प्राधिकरण के कृत्यों का पुनर्विलोकन करने के लिए प्राधिकरण के न्यूनतम दो सदस्यों से मिलकर बनने वाली निष्पादन पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगा । यह और उपबंध करता है कि निष्पादन पुनर्विलोकन समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन करेगी और प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसे रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन मास अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्ट करने के लिए, की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, के साथ उसकी एक प्रति अग्रेषित करेगी ।

खंड 18—यह खंड वेबसाइट अथवा इलैक्ट्रॉनिक सूचना की विश्वव्यापी पहुंच निधान का रखरखाव करने के लिए है जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके ।

खंड 19—यह खंड केन्द्रीय सरकार के लिए विवरणी, आदि को तैयार करने के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो में इकाइयों के संवर्धन और विकास तथा विनियमन के

लिए किसी प्रस्तावित अथवा विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में विवरणी, विवरण और अन्य विशिष्टियां केन्द्रीय सरकार के लिए तैयार करेगा। यह और उपबंध करता है कि प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नब्बे दिनों के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों पर एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसके अंतर्गत प्रस्तावित विधान के अधीन क्रियाकलाप, नीति और कार्यक्रम हैं। यह भी उपबंध करता है कि रिपोर्ट की प्रतियों को उनके प्राप्त होने के पश्चात्, यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

खंड 20—यह खंड उपबंध करता है कि किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय सेवाओं का प्रत्येक अंतरण ऐसी विदेशी मुद्रा में किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श से प्राधिकरण द्वारा विनियोजन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

खंड 21—यह खंड निदेशों को जारी करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है। यह प्राधिकरण को निदेश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार पर शक्ति सुनिश्चित करता है जो नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेश द्वारा बाध्यकर होंगे जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे लिखित में दे सकेगी।

खंड 22—यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण के अधिक्रमण के लिए उपबंध करता है। यह अधिसूचना जारी करके छह मास की अधिकतम अवधि के लिए प्राधिकरण को अतिष्ठित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदत्त करता है, यदि उसकी यह राय है कि प्राधिकरण अपने कृत्यों का निर्वहन करने या उसके नियंत्रण से परे ऐसी परिस्थितियों के होने पर अपने कर्तव्यों के पालन करने में अयोग्य होता है अथवा यदि प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश या अपने कृत्यों के निर्वहन या अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अनुपालन में लगातार व्यतिक्रम करता है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति अथवा प्राधिकरण का प्रशासन की अवनति हुई है; या विद्यमान ऐसी परिस्थितियां जिसे लोक हित में समाप्त करना आवश्यक है। तथापि, किसी ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार, प्रस्तावित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यवेदन करने के लिए प्राधिकरण तथा प्राधिकरण के अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए उचित अवसर देती है।

यह और उपबंध करता है कि जब प्राधिकरण के अधिक्रमण की अधिसूचना प्रकाशित होती है, अध्यक्ष और अन्य सदस्य का पद उस तारीख से रिक्त होगा जिससे अधिक्रमण की तारीख तथा प्राधिकरण की सभी शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यों को ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यवहार और निर्वहन किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार निदेशित करेगी और सभी सम्पत्तियां प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन सभी सम्पत्तियां केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी जब तक प्राधिकरण पुनः गठित नहीं किया जाता है।

यह भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि के अवसान पर या उससे पूर्व प्राधिकरण का पुनर्गठन करेगी। यह भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार यथासंभवशीघ्र प्राधिकरण के अधिक्रमण संबंधी अधिसूचना की प्रति और उसके द्वारा की गई किसी कार्यवाही की पूर्ण रिपोर्ट संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

खंड 23—यह खंड प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लिखित में

साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपनी शक्तियों (विनियमों को बनाने के लिए शक्तियों के सिवाय) और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा। यह और उपबंध करता है कि प्राधिकरण सदस्यों की समितियों के प्ररूप के लिए भी लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगा तथा उन्हें प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

खंड 24—यह खंड उपबंध करता है कि प्राधिकरण के अध्यक्ष, अन्य सदस्य, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को लोक सेवक समझा जाएगा जब प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित किया जाता है।

खंड 25—यह खंड उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या उसके किसी अधिकारी, आदि के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

खंड 26—यह खंड प्राधिकरण को धन, आय, सेवाओं या लाभों और अभिलाभों से छूट देने के लिए है।

खंड 27—यह खंड केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करता है।

खंड 28—यह खंड प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करता है।

खंड 29—यह खंड नियमों और विनियमों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए उपबंध करता है।

खंड 30—यह खंड प्रस्तावित विधान के लिए अध्यारोही प्रभाव के लिए उपबंध करता है।

खंड 31—यह खंड अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के संबंध अन्य अधिनियमितियों के उपबंधों को उपांतरित करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है।

खंड 32—यह खंड कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंध करता है।

खंड 33—यह खंड दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कतिपय अधिनियमितियों का उनमें विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए उपबंध करता है।

खंड 34—यह खंड व्यावृत्ति के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि यह वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं, जैसा भी मामला हो, के संबंध में किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन बनाए गए या बनाए जाने के लिए तात्पर्यित सभी नियम और विनियम अथवा जारी की गई या जारी किए जाने के लिए तात्पर्यित सभी अधिसूचनाएं जहां तक कि उनका संबंध ऐसे विषयों से है जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किए गए हैं अथवा उसके अधीन नियम और विनियम बनाए गए हैं अथवा अधिसूचना जारी की गई है और इससे असंगत नहीं है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए और जारी की गई, समझी जाएगी जैसे कि अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जिसको ऐसे नियम बनाए गए थे या अधिसूचनाएं जारी की गई थीं और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक वे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों अथवा उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा, अधिक्रान्त नहीं कर दिए जाते हैं।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है केन्द्रीय सरकार उस तारीख से जो उसके द्वारा नियत की जाएं, प्रस्तावित विधान के प्रयोजन के लिए एक प्राधिकरण जिसका संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, स्थापित कर सकेगी। विधेयक के खंड 6 का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवाओं के अन्य निबंधन और शर्तें विहित करेगी। विधेयक का खंड 11 यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण, ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा जो वह प्रस्तावित विधान के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे और उनके वेतन, भत्ते और सेवाओं के अन्य निबंधनों और शर्तों के संबंध में विनियम विरचित करेगा।

2. विधेयक का खंड 14 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार विधि द्वारा संसद् द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्राधिकरण को अनुदान दे सकेगी।

3. विधेयक के खंड 15 का उपखंड (1) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निधि नामक निधि के गठन के लिए उपबंध करता है जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस और प्रभार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य स्रोतों से प्राप्त रकम, जमा की जाएगी।

4. यह प्राक्कलित किया जाता है कि 2019-20 से आरंभ होने वाले आरंभिक वर्षों में प्राधिकरण को दिए गए अनुदानों सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने वाला प्राक्कलित व्यय लगभग दस करोड़ रुपए का होगा। इसमें वेतन, भत्ते और प्राधिकरण के अन्य स्थापन व्यय सम्मिलित होंगे। समय के अनुक्रम में, प्राधिकरण से यह प्रत्याशित है कि वह अपने व्यय का फीस और उसके द्वारा उसके कार्यकरण के सामान्य अनुक्रम में संगृहीत अन्य राजस्व से वित्तपोषण करे।

5. विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है और उसे प्रवर्तन में लाया जाता है तो उसमें पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति के व्यय से भिन्न कोई अन्य आवर्ती या अनीवर्ती व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 27 केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित विधान के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। उपखंड (2) ऐसे मामलों को प्रगणित करता है जिसके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। इन मामलों में अन्य बातों के साथ,—(क) प्राधिकरण के सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवाओं के अन्य निबंधन और शर्तें; (ख) प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति की संरचना और गठन की रीति; (ग) प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य; (घ) प्ररूप, जिसमें लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे जाने हैं और लेखा, जो प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं, का वार्षिक विवरण; (ङ) प्राधिकरण द्वारा विवरणी और कथन तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप और रीति; और (च) प्राधिकरण के क्रियाकलापों, नीतियों और कार्यक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप, सम्मिलित है।

2. विधेयक का खंड 28 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है। ऐसे विनियम प्रस्तावित विधान के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत होंगे। ऐसे मामलों, जिनके संबंध में प्राधिकरण विनियम बना सकेगा, में अन्य बातों के साथ,—(क) प्राधिकरण की बैठकों के लिए समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के नियम; (ख) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवाओं के अन्य निबंधन और शर्तें; (ग) वह रीति जिसमें प्राधिकरण अपने कृत्यों का पालन कर सकेगा; (घ) प्राधिकरण की कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति को सूचना उपलब्ध कराने की रीति; (ङ) वेबसाइट और इलैक्ट्रॉनिक सूचना का सार्वभौमिक पहुंच वाले निदान का अनुरक्षण; (च) वह विदेशी मुद्रा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवाओं का संव्यवहार संचालित किया जा सकेगा; और (छ) प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं, सम्मिलित हैं।

3. प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

4. ऐसे मामलों जिनके संबंध में नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपलब्ध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।